



प्रेस विज्ञप्ति
04/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जांच के तहत चंडीगढ़ और पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 03.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों के माध्यम से भारतीय बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) को अपने लिए 74.35 करोड़ रुपये का गलत लाभ कमाने के अपराधिक इरादे से धोखा दिया और धोखाधड़ी के माध्यम से बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया।

ईडी ने अप्रैल, 2023 में भारतीय बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अगस्त, 2024 में सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेसर्स पोलो होटल्स लिमिटेड, अभय कुमार दहिया, अमरदीप सिंह दहिया, पंकज दहिया और अन्य ने धोखाधड़ी की है और शिकायतकर्ता बैंक को 74.25 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया है।

तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, कंपनी और उसके निदेशकों के 3 बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिनकी कीमत 82 लाख रुपये है।

आगे की जांच जारी है।